झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–06

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, शनिवार, दिनांकः– 13,फाल्गुन,1944 (श0) / 04 मार्च , , 2023 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
84-	अ0सू0–12	श्री मनीष जायसवाल,	योजना पूर्ण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
85-	अ0सू0–36	श्री सरयू राय,	नीलामी करना।	खान एवं भूतत्व	27-02-23
86-	अ0सू0–06	श्री उमाशंकर अकेला,	मरम्मति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
87-	अ0सू0–34	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	योजनाओं को पूरा करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	27-02-23
88-	अ0सू0–17	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	निविदा निष्पादन करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
89-	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल,	दोषियो पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
90-	अ0सू0–25	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	अनिवार्यता को समाप्त करना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
91-	अ0सू0–22	श्री अनन्त कुमार ओझा,	गोबर गैस प्लांट लगाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
92-	अ0सू0–28	डॉ0लम्बोदर महतो,	जलमीनार चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	27-02-23
93-	अ0सू0–30	श्री दीपक बिरुवा,	खादानों को पुनः चालू करना।	खान एवं भूतत्व	27-02-23
94-	अ0सू0–14	श्री प्रदीप यादव,	समस्या का निदान।	ऊर्जा	25-02-23

01	02	03	04	05	06
95-	अ0सू0-15	श्री प्रदीप यादव,	योजना बनाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25-02-23
96-	अ0सू0-23	श्री निरल पुरती,	बिजली उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	25-02-23
97-	अ0सू0-04	श्री कमलेश कुमार सिंह,	बालू हेतु कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
98-	अ0सू0-10	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	दण्डनात्मक कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
99-	अ0सू0-05	श्री बिरंची नारायण,	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	25-02-23
100-	अ0सू0-08	श्री बिरंची नारायण,	वैट की दर को कम करना।	वाणिज्यकर	25-02-23
101-	अ0सू0-01	श्री अमर कुमार बाउरी,	भुगतान हेतु समय देना।	ऊर्जा	15-02-23
102-	अ0सू0-21	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	नियमावली में बदलाव।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
103-	अ0सू0-03	श्री भानु प्रताप शाही,	खादान को चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
104-	अ0सू0-02	श्री भानु प्रताप शाही,	सोलर प्लांट लगाना।	ऊर्जा	21-02-23
105-	अ0सू0-31	श्री समरीलाल,	प्रोन्नति देना।	ऊर्जा	27-02-23
106-	अ0सू0-11	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	समता जजमेन्ट को लागू करना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23
107-	अ0सू0-35	श्री सरयू राय,	खनन् मुक्त क्षेत्र घोषित करना।	खान एवं भूतत्व	27-02-23
108-	अ0सू0-26	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	कार्य पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	27-02-23
109-	अ0सू0-16	सुश्री अम्बा प्रसाद,	अवधि विस्तार करना।	खान एवं भूतत्व	25-02-23

राँची,
दिनांक–04 मार्च,2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा०वि०स०(प्रश्न)–14/2023–......879....../वि०स०,राँची,दिनांकः–....04.03.23

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
कृ०पृ०उ०.......3

नोट!-
* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-1267, दि०-28/04/23 द्वारा नगर विकास विभाग को स्थानांतरित।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-14/2023-879/वि०स०,राँची,दिनांकः-02/03/23

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-14/2023-879/वि०स०,राँची,दिनांकः-02/03/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/J.V.S, T.V शाखा/बेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गोपी/

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(84)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 12 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि हर घर नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य को मिलनेवाली उक्त योजना मद की राशि में चार गुना की वृद्धि कर दी जिसके अन्तर्गत राज्य में सरकार को **वर्ष– 2024 तक कुल 61.21 लाख** घरों में हर घर नल से जल योजना अन्तर्गत पानी पहुँचाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक खण्ड– 01 में वर्णित योजना का लाभ मात्र 18 लाख घरों तक ही सरकार पहुंचा पाई है जो उक्त योजना के कुल लक्ष्य की तुलना में मात्र 29% ही है जबकि उक्त योजना मद की राशि सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है;	राज्य में वर्ष– 2024 तक कुल– 61,18,767 अदद FHTC किया जाना है जिसके विरूद्ध अबतक कुल– 19,26,798 अदद घरों को पेयजल से आच्छादित कर दिया गया है जो 31.49% है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 29756 गाँवों की तुलना में अबतक मात्र 12075 गाँवों में ही उक्त योजना का लाभ लोगों को दी गई है जिसमें हजारीबाग में अबतक उक्त योजनान्तर्गत मात्र 71778 घरों में ही नल से जल पहुंचाई जा सकी है जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;	वस्तुस्थिति यह है कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर नल से जल योजना के तहत हजारीबाग जिला अन्तर्गत कुल 1205 गाँवों में कुल लक्ष्य 3,33,918 के विरूद्ध अबतक 91,506 घरों को पेयजल से आच्छादित किया जा चुका है। पेयजल से आच्छादित करने हेतु हजारीबाग जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में 35 अदद बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ (MVS) स्वीकृत की गई है, जिसमें 15 अदद योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है, 18 अदद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं 02 अदद योजनाएँ (चौपारन उत्तरी एवं दक्षिणी एवं सिकरी–केरी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना) निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। 90 अदद Cluster योजनाएँ स्वीकृत की गई है जिसमें 05 अदद योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है, 42 अदद योजनाएँ कार्य प्रगति पर है एवं 43 अदद योजनाएँ निविदा प्रक्रियाधीन है। साथ ही 55 अदद SVS (Single Village Scheme) जलापूर्ति योजनाओं में 53 अदद योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है, 02 अदद योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड– 01 में वर्णित योजना को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार वर्ष 2024 तक झारखण्ड के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–49/2022–316 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– ~~437~~, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

85

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–36

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मिनरल्स कंसेशन रूल्स (एमसीआर)–2016 के अनुसार 31 मार्च 2016 को परिसमाप्त लीजधारकों के खनन लीज क्षेत्रों से 6 माह के भीतर मैन, मैटेरियल और मशीनरी हटा लेना है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि ऐसे खनन पट्टा क्षेत्रों में करीब रू० 10,000 करोड़ मूल्य के लौह अयस्क पड़े हुए हैं, जिन्हें एमसीआर–2016 के नियम 12gg के तहत् निलाम करने की अनुमति सरकार ने लीजधारकों को नहीं दिया;	खनिज के उठाव के बावत कुल 07 मामले MCR, 2016 के नियम–12 (1) (gg)/12 (1) (hh) के तहत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। एक अन्य मामले में MCR, 2016 के नियम–12(I)(gg) के तहत पट्टेधारी से प्राप्त खनिज उठाव संबंधी आवेदन को विभाग द्वारा सुनवाई के उपरांत अस्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध पूर्व पट्टेधारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची में वाद संख्या– W.P.C 3014/2020 दायर किया गया है एवं वाद माननीय न्यायालय में लंबित है।
3.	क्या यह बात सही है कि एमसीआर 2016 के नियम–12hh के तहत् लौह अयस्क भंडार को नीलाम करने से लीजधारकों पर बकाया की वसूली होगी और सरकार को रू० 1200 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा;	
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लौह अयस्क भंडार को नीलाम करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–38 / 2023 351 /एम०, राँची, दिनांक:–03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–685 दिनांक–27.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

86

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06 का उत्तरः–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर –
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिलों के सभी प्रखण्ड में अधिकतर चापाकल खराब है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खराब चापाकल होने के कारण आमलोगों को पानी का काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता रहा है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिलों में चापाकल तथा पाईप लाईन के माध्यम से जलापूर्त्ति की जाती है। प्रश्नगत् मामलों के जिलों में चापाकलों तथा पाईप लाईन से जलापूर्त्ति की सूचना निम्नवत् है:–
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी खराब चापाकल की मरम्मति कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

जिला	चालू चापाकलों की संख्या	चालू लघु ग्रा०जला० यो० (SVS) की संख्या	चालू वृहत ग्रा०जला० यो० (MVS) की संख्या
1	2	3	4
हजारीबाग	21155	659	15
कोडरमा	9064	73	13
चतरा	16046	1321	06
रामगढ़	8528	139	28

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–06/प्र०$_2$–103/2023– 1330 राँची, दिनांकः– 3/3/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 438 दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में (अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06) 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2023
(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–06/प्र०$_2$–103/2023– 1330 राँची, दिनांकः– 3/3/23

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, विधान–सभा/उप सचिव/अवर सचिव (प्र०– 5)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2023
(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

03.03.23

(87)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 34 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में राज्य अन्तर्गत सभी जिलों के सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिये 4 हजार 54 करोड़ 40 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि बजटीय आवंटन के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में अबतक कितनी राशि खर्च की गयी और कितनी योजनायें लंबित है तथा प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से संबंधित उन लंबित योजनाओं को कबतक पूरा किया जायेगा ?	चालू वित्तीय वर्ष में कुल बजट उपबंध रूपये 405440.14 लाख (चार हजार चौवन करोड़ चालीस लाख चौदह हजार रूपये) है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से अबतक कुल 356288.53 लाख (तीन हजार पाँच सौ बासठ करोड़ अठासी लाख तिरेपन हजार रूपये) प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि के विरूद्ध अबतक राशि रूपये 222570.50953 लाख (दो हजार दो सौ पच्चीस करोड़ सत्तर लाख पचास हजार नौ सौ तिरेपन रूपये) मात्र व्यय किया गया है। 268 अदद् स्वीकृत बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में से कुल 234 अदद् योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, शेष 34 अदद् योजनाएँ निविदा की प्रक्रिया में है। विभाग द्वारा कुल 97545 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS/SVS Cluster) स्वीकृत की गई है जिनमें से 50952 योजनाएँ कियान्विमत की जा रही है 337 अदद् योजनाएँ पुर्ण कर ली गई है। शेष 46256 अदद् योजनाएँ की निविद प्रक्रिया में है। वर्ष– 2024 तक सभी योजनाओं को पूर्ण किया जाना है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–54/2022– 1352 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 687, दिनांक– 27.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–54/2022– 1352 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)

(88)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 17 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित वृहद बहु ग्राम पेयजलापूर्ति योजना को विभाग द्वारा अमानत नदी के जल श्रोत को पर्याप्त नहीं मानकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि, पांकी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पांकी ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना से शेष बचे हुए गाँवों को कलस्टर आधारित मिनी वाटर सप्लाई स्कीम द्वारा बोरिंग कराकर पेयजलापूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है;	**स्वीकारात्मक।** पांकी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पांकी बहु–ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना एवं लेस्लीगंज बहु–ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना एवं 76 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादन किया जा रहा है एवं शेष बचे ग्रामों एवं टोलों को SVS/ SVS Cluster से आच्छादित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि, पांकी विधानसभा क्षेत्र में भू–गर्भीय जल स्त्रोत का सदा अभाव रहा है तथा अधिकतर ग्राम पंचायतों में ड्राई जोन होने की समस्या है अमानत नदी पर पांकी बराज में वीयर एवं इंटेक वेल बनाकर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है;	जलापूर्ति योजनाओं के स्रोत का चयन Source Sustainability Certificate (Source Finding Committee जिसमें तकनीकी पदाधिकारी शामिल है। इसका सत्यापन विभागीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति (जिसमें जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी भी सदस्य हैं) से कराया जाता है। अमानत नदी Perennial नदी नहीं होने के कारण Weir निर्माण के उपरांत भी पूरे वर्ष पेयजलापूर्ति हेतु जल उपलब्ध नहीं हो सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्त्तमान में आमंत्रित कलस्टर आधारित मिनी वाटर सप्लाई योजनाओं की निविदा को रद्द करते हुए खण्ड– 1 में वर्णित वृहद पेयजलापूर्ति योजनाओं की दूरगामी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निविदा निष्पादन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–51/2022– 1351 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 529, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(6) (89)

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सिर्फ वित्तीय वर्ष–2015–16 से 2019–20 तक राज्य में कुल 5517 करोड़ रूपयें राशि DMFT फंड की वसूली की गई थी तथा जिस राशि का उद्देश्य खनन कार्य से प्रभावित लोगों पर खर्च करना मात्र है;	DMFT का गठन राज्य में खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों (विस्थापित सहित) के कल्याण हेतु किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में अबतक 11361.90 करोड रूपये की राशि DMF कोष में प्राप्त हुयी है। (वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक हजारीबाग जिले को DMFT मद में राशि रू० 237.6594/– करोड रूपये प्राप्त हुए है।)
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के 1575 प्रारंभिक/प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिना निविदा निकाले DMFT फंड के 05 करोड़ राशि से कोरोनाकाल में जब सभी स्कूल बन्द थी बर्तन की खरीदारी मेसर्स प्रकाश चन्द्रा नामक कम्पनी से कर ली गई जिस कम्पनी का मालिक पटना के रहनेवाले है जिस कम्पनी का पता हजारीबाग स्थित कृष्णापुरी दिखाया गया जबकि उक्त पतें पर ऐसा कोई कम्पनी नहीं है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि श्रीमती इन्दु अग्रवाल, तत्कालीन प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) द्वारा हजारीबाग, राँची, चतरा, धनबाद एवं बोकारो में खण्ड–01 में वर्णित फंड की अनियमितता का उल्लेख करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से उक्त मामले की रिर्पोट 30 अप्रैल 2021 तक देने को कही थी परन्तु सरकार द्वारा उक्त संबंध में अबतक रिर्पोट नहीं दी गई ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का कार्यकलाप पर लेखा परीक्षा से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर विभागीय बिन्दु से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक–1148, दिनांक–08.06.2022 द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित फंड का उपयोग करते हुए खण्ड–02 एवं 03 में वर्णित मामले की जाँच कराकर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	महालेखाकार कार्यालय झारखण्ड द्वारा छः जिलो में किये गये अंकेक्षण के संदर्भ में अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ०सू०)–26/2023 336 /एम०, राँची, दिनांकः– 01·03·2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–456 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(7) (90)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित 2500 ईट भट्ठों में विभिन्न जिलों में लगभग तीन लाख स्थानीय कृषक/मजदूर ईट ढुलाई, निर्माण एवं अन्य कार्यों को कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं;	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत ईंट भट्ठों हेतु फैक्ट्री लाईसेंस निर्गत किया जाता है। ईंट मिट्टी के खनन हेतु JMMC-2004 के नियम–31 के प्रावधानों के आलोक में खनन अनुज्ञा–पत्र निर्गत किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि M.M.R.D Act. 1957 के नियम–15 के आलोक में नियमावली बनाने एवं आवश्यक संशोधन हेतु राज्य सरकार को अधिकार प्रदत्त होने के साथ संघीय व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य अधिकारों को विभाजन निहित है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 28 मार्च 2020, संख्या–1088, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3 (iii) के आलोक में 02 मीटर की गहराई तक मिट्टी खनन् को खनन् संक्रिया से अलग रख गया है। साथ ही इसी नियम के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश की सरकार ने मिट्टी खनन् के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अनियवार्यता समाप्त कर दी है तथा उक्त मामला झारखण्ड सरकार के पास मंतव्य हेतु विगत् 11 माह से लंबित है;	MM(DR) Act 1957 के धारा–15 अंतर्गत JMMC-2004 अधिसूचित है। JMMC-2004 के नियम 31 (1) के तहत लघु खनिज (ईट मिट्टी सहित) के खनन हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत EC की अनिवार्यता निर्धारित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में संचालित ईट भट्ठों में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के खनन् हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के अनिवार्यता (E.C) को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड से मामले में प्राप्त मंतव्य के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ०सू०)–30/2023 335 /एम०, राँची, दिनांकः–01·03·2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञांप सं० प्र०–534 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(91)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा सहित संपूर्ण राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में गोबरधन योजना के तहत कुल 144 गोबर गैस प्लांट लगाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत राज्य के 32 प्रमंडलों में बांटी गई है तथा प्रत्येक प्रमंडल में 03–03 गोबर गैस प्लांट के साथ 24 सामुदायिक गोबर गैस प्लांट भी लगायी जानी है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्र और राज्य के सहयोग से प्रत्येक गोबर गैस प्लांट के लिए 50 लाख रूपये की राशि आवंटित किये जाने के बावजूद भी अबतक सरकार द्वारा उक्त प्लांट लगाने के लिए एजेंसी का चयन नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। SBM(G) Phase-II के मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य अंतर्गत प्रत्येक जिले को 50 लाख रूपये गोबरधन योजना में व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार साहेबगंज जिला अंतर्गत भी 50 लाख रूपये गोबरधन योजना में व्यय किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना मार्च, 2025 तक पूर्ण किया जाना है। वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर गोबर गैस प्लांट के अधिष्ठापन हेतु तकनीकी एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर गोबर गैस प्लांट का अधिष्ठापन मनरेगा द्वारा कराये जाने का प्रावधान है।
3	यदि उक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित योजना का लाभ राजमहल विधान सभा क्षेत्र के आमजन को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माह अप्रैल–जून, 2023 तक राजमहल विधान सभा क्षेत्र के आम जनता के साथ–साथ जिले के अन्य प्रखण्डों में भी गोबर गैस प्लांट के अधिष्ठापन एवं इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः– SBM (G) / वि०स० / अल्प–सूचित–67 / 2023–155 दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० 535 / वि०स० दिनांक–25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23
सरकार के अवर सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः– SBM (G) / वि०स० / अल्प–सूचित–67 / 2023–155 दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव / अवर सचिव (प्र०–5) / विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23
सरकार के अवर सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 28 का उत्तर :–

(92)

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य सहित बोकारो जिला के गाँव से शहर तक सरकारी नलकूपों एवं जलमिनारों की स्थिति खराब है तथा कई जगह चापानल, पाईप के अभाव में बेकार पड़े है;	बोकारो जिला सहित झारखण्ड राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं चापानलों के माध्यम से पेयजलापूर्ति की जाती है। नलकूपों की मरम्मति हेतु Grievance Redressal Cell गठित है नलकूप खराब होने की शिकायत मिलने पर 72 घटों के अन्दर योजनाओं के संचालन के क्रम में कुछ स्थानों पर जलमीनार अथवा चापानल खराब पाये जाने पर विभाग के द्वारा समय–समय पर मरम्मति कराई जाती है एवं 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से VWSC के द्वारा भी जलमीनारों की मरम्मति करायी जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई गाँवों में जलमीनार रहने के बावजूद किसी में सोलर प्लेट तो कहीं मोटर खराब होने के कारण लाखों लोगों को शुद्ध स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल से वंचित होना पड़ रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** राज्य के कुल 4,40,787 अदद् नलकूपों के द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है जो विभागीय मानक के अनुरूप है, जो केन्द्रीय मानक से अधिक है। इसके अतिरिक्त बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के द्वारा अबतक राज्य के कुल 19,22,661 घरो में गृह– संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है तथा वर्ष– 2024 तक राज्य के सभी 61,18,767 घरो में गृह–संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये योजनाओं की स्वीकृति दी जा चूकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत नल–कूपों एवं जलमीनार को सुचारू रूप से चालू करना चाहती है, तथा दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–53/2022– 1359 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 688, दिनांक– 27.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–53/2022– 1359 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(93)

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–30

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लौह अयस्क की वृहत व लघु खनिज की 33 खदानें लीज नवीकरण के अभाव में बंद है;	वस्तुस्थिति यह है कि MMDR Amendment Act 2015 के प्रभावी होने के फलस्वरूप पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत वृहत खनिज (लौह अयस्क/मैंगनीज) के 07 (सात) चालू खनन पट्टों की अवधि दिनांक–31.03.2020 को समाप्त हुई है तथा चिन्हित Mineral Blocks की नीलामी The Mineral Auction Rules, 2015 के तहत प्रकियाधीन है। वहीं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के अंतर्गत लघु खनिज (पत्थर) के 02 खनन पट्टों की विस्तारित अवधि दिनांक–31.02.2022 को समाप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि लघु खनिज के खनन पट्टों के आवंटन के बाबत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित की नियम 9(1)(क) निम्नवत् अंकित है:– "9(1)(क)–रैयती भूमि के 03.00 हे0 क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम एवं मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। परन्तु कि सभी सरकारी क्षेत्र एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम– 6 (ख) के परन्तु में उल्लेखित क्षेत्र एवं खनिज को छोड़कर सभी रैयती क्षेत्र पर बालू छोड़कर अन्य सभी लघु खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज नीलामी नियमावली, 2017 के निरूपित प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान के द्वारा किया जाएगा। परन्तु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नीलामी हेतु उपायुक्त को भी प्राधिकृत कर सकती है। उक्त नियम के आलोक में सरकारी क्षेत्र पर स्थित लघु खनिज के उपरोक्त वर्णित दोनों पत्थर खनन पट्टे यथा नोवामुण्डी स्थित सरबिल एवं गुण्डीजोड़ा पत्थर खनन पट्टा की ई–नीलामी के उपरांत preferred bidder को Letter of Intent खान निदेशालय द्वारा निर्गत है। साथ ही मनोहरपुर अंचल अंतर्गत मकण्डा ब्लॉक की नीलामी हेतु NIT प्रकाशित है। इसके अलावे रैयती भूमि के 03 हेक्टेयर एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर खनन पट्टा हेतु आवेदन का निस्तारण जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा किया जाता है। कोरोना काल (कैलेण्डर वर्ष 2020) से अबतक जिला स्तर पर ऐसे 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 01 खनन पट्टा की स्वीकृति नियमानुसार दी गई है तथा 06 मामलों में पत्थर खनन पट्टा हेतु आशय का पत्र निर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि खदानें बंद होने के कारण हजारों लोगों का रोजगार छिन गया, और सरकार को हर वर्ष एक अरब 16 करोड़ 66 लाख रूपये से अधिक के राजस्व की क्षति हो रही है;	यथा उपरोक्त
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ राजस्व की प्राप्ति हेतु बंद पड़े खदानों की लीज नवीकरण करते हुए पुनः चालु कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–41/2023 355 /एम०, राँची, दिनांक:–03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–684 दिनांक–27.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

94

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्षों से यह राज्य बिजली के संकट से जूझ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामान्यतः शहरी क्षेत्र में 20–22 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 18–19 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि इस कारण हजारों उद्योग घाटे में एवं 60–70 हजार कामगारों के रोजी-रोटी पर संकट आ गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस गंभीर समस्या के निदान हेतु सरकार कौन सा उपाय निकालने की योजना बनायी है और उक्त योजना को कब तक फलीभूत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिजली की कमी के कारण, पीक आवर में load shedding नही करना पड़े इसके लिए बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए निम्न पहल की जा रही है ताकि बहुत जल्द JBVNL के पास 24x7 आवश्यकता के अनुसार बिजली हो:- 1. NTPC एवं JBVNL के joint venture कम्पनी पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 5x800 MW का संयत्र स्थापना का कार्य प्रगति पर है एवं प्रथम यूनिट से उत्पादन मार्च 2024 से प्रस्तावित है। 2. NTPC नार्थ कर्णपुरा पावर संयत्र द्वारा दिनांक 01.03.2023 से वाणिज्यि उत्पादन शुरु हो गया है एवं JBVNL को 176 MW बिजली का आवंटन है। 3. SECI के द्वारा सोलर पावर खरीदा जा रहा है, जिससे दिन के समय 450 MW बिजली मिलती है। 4. सेंट्रल जेनेरेटिंग स्टेशन या तेनुघाट विद्युत उत्पादन के आकस्मिक ऑउटेज के समय सिकीदरी यूनिट का सही इस्तेमाल कर के बिजली की कमी को पूरा करना।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 474 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

95

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 15 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे ने एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है जिस आधार पर वर्ष– 2060 तक झारखण्ड के 33 % हिस्से को पेयजल भी नसीब न होने का दावा किया गया है;	पेयजल की सभी योजनाएँ या तो सतही या भू–गर्भीय जलश्रोत को श्रोत मानते हुए कार्यान्वित हो रही हैं। इन सभी श्रोतों का Source Sustainability Certificate (Source Finding Committee जिसमें तकनीकी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जन–प्रतिनिधि भी शामिल हैं) के आधार पर किया गया है। इसका सत्यापन विभागीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति (जिसमें जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी भी सदस्य हैं) से कराया जाता है। फिर भी सरकार के द्वारा जलश्रोतों के Recharging हेतु Rain Water Harvesting, Ground Water Recharging हेतु विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है एवं किया जा रहा है। जलश्रोतों की क्षमता से संबंधित विस्तृत अध्ययन Ground Water Board एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं पार्ट दुमका जिलों में पेयजलापूर्ति योजनाएँ गंगा नदी को जलस्रोत मानते हुए क्रियान्वित की जा रही हैं।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर की गई शंका के समाधान के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–50/2022– 1348 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 436, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–50/2022– 1348 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(96)

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में बिजली उपभोक्ताओं हेतु DS1(A) एवं DS1(B) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य लोगों को बिजली कनेक्शन दी जाती है;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में सभी ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं को श्रेणी DS1(A)- गरीबी रेखा से नीचे एवं DS1(B)- गरीबी रेखा से ऊपर में विद्युत संबंध दिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि DS1(A) एवं DS1(B) उपभोक्ताओं के यहाँ लगभग 675 करोड़ रू० बकाया है, जिसमें कोल्हन प्रमण्डल के क्रमशः सरायकेला-266.03 लाख, पश्चिमी सिंहभूम-63.67 लाख एवं चाईबासा अंचल-329.71 लाख बकाया है और लगभग 2 लाख 35 हजार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है तथा साथ-साथ FIR भी कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान प्रमण्डल के क्रमशः सरायकेला-266.03 लाख, पश्चिमी सिंहभूम-63.67 लाख बकाया है। अर्थात विद्युत आपूर्ति अंचल चाईबासा के अंतर्गत DS1(A) एवं DS1(B) उपभोक्ताओं का कुल बकाया 329.71 लाख है। विद्युत आपूर्ति अंचल चाईबासा के DS1(A) एवं DS1(B) के लगभग 1,17,565 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बिजली विपत्र जमा नहीं करने के कारण काटा गया है। वैसे उपभोक्ता जो अवैध विद्युत उपभोग करते हुए पकड़े जाते हैं उन पर FIR किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए DS1(A) एवं DS1(B) उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वैसे उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध बकाया होने के कारण काट दिया जाता है उनके भुगतान करने पर ही पुनः विद्युत संबंध बहाल किया जाता है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा बकाया राशि भुगतान के लिए किस्तों में भी भुगतान की सुविधा दी जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 473 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(97)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–04

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एनजीटी से रोक हटने के बावजूद पलामू जिले में नदी से बालू के उठाव पर रोक है;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिलान्तर्गत कुल 44 बालूघाट Category-I में चिन्हित है, जिस पर बालू उठाव से संबंधित रोक नहीं है। जिसके संचालन हेतु उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू के आदेश सह पठित ज्ञापांक 1686/एम०, दिनांक 03.11.2018 द्वारा सभी संबंधित को दिशा निदेश जारी किया गया है। पलामू जिलान्तर्गत Category-II के बालूघाट संचालित नहीं है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना एवं Guidelines के अनुसार बालूघाट संचालन के पूर्व जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR), पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) तथा CTO प्राप्त करना आवश्यक है। वर्त्तमान में पलामू जिला के लिए बालू खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) तैयार किये जाने के प्रक्रियाधीन है। DSR का अनुमोदन के उपरांत जिला के Category-II के बालूघाट के लिए JSMDC द्वारा EC तथा CTO प्राप्त कर संचालन किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि बालू की उपलब्धता नहीं होने के कारण सरकारी विकास की योजनाओं एवं निजी निर्माण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिलान्तर्गत Category-I के 44 चिन्हित बालूघाटों के संचालन हेतु उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, पलामू के आदेश सह पठित ज्ञापांक–1686/एम०, दिनांक 03.11.2018 द्वारा सभी संबंधित को दिशा निदेश जारी किया गया है एवं पलामू जिलान्तर्गत कुल 08 बालू खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन (भंडारण अनुज्ञप्ति) संचालित है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं सूचना पट्ट के माध्यम से आमजनों को उपलब्ध करायी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि बालू के उठाव पर रोक रहने के कारण बालू की कालाबाजारी चरम पर हो रही है, फलस्वरूप बालू के वास्तविक कीमत से 5 से 7 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है;	वर्णित नदी में बालू खनिज का उत्खनन से संबंधित मामला प्रकाश में नहीं है। पलामू जिलान्तर्गत बालू खनिज के अवैध परिवहन/भंडारण के विरूद्ध की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू की सुगम उपलब्धता हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा कंडिका–02

वर्ष	प्राथमिकी की संख्या	वहनों की संख्या	वसूली की गयी राजस्व/जुर्माने की राशि (लाख रूपये में)
2020–21	29	174	17.54
2021–22	01	226	55.22
2022–23 (माह फरवरी 23 तक)	18	268	62.21

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–27/2023 353 /एम०, राँची, दिनांक:– 03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–453 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(98)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में कोयले की तस्करी पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि जिला बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ एवं गिरिडीह में कोयले की तस्करी पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की मिलीभगत से धड़ल्ले से जारी है;</td><td>अस्वीारात्मक।
अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर विभागीय पत्रांक–563, दिनांक–05.10.2005 द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित हैं जिसके द्वारा अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के मामलों में जिला स्तर पर कार्रवाई की जाती है।
विगत तीन वर्षो में कोयला खनिज के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्व की गयी कार्रवाइ की विवरणी निम्न प्रकार है :–
<u>बोकारो</u>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>प्राथमिकी</th><th>वाहन सं०</th><th>जुर्माना की राशि (लाख रू० में)</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>01</td><td>08</td><td>00</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>04</td><td>05</td><td>00</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>77</td><td>34</td><td>9.47</td></tr>
</table>
<u>हजारीबाग</u>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की सं०</th><th>जप्त वाहन की संख्या</th><th>गिरफ्तार व्यक्तियों की सं०</th></tr>
<tr><td>2021</td><td>88</td><td>75</td><td>103</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>135</td><td>ट्रक–47
हाईवा–05
ट्रैक्टर–33
बेलेरो–36
टैम्पु–14
मोटरसाईकिल–63
कुल–198</td><td>139</td></tr>
<tr><td>2023 फरवरी तक</td><td>35</td><td>पिकअप–10
ट्रैक्टर–06
ट्रक–10
टर्बो–03
मोटरसाईकिल–05
सेन्ट्रो कार–35
कुल–35</td><td>22</td></tr>
<tr><td></td><td>258</td><td>308</td><td>264</td></tr>
</table>
<u>धनबाद</u>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>जप्त वाहनों की सं०</th><th>दर्ज प्राथमिकी की सं०</th><th>जप्त खनिज की मात्रा (टन में)</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>196</td><td>199</td><td>3274</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>193</td><td>226</td><td>27867</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>446</td><td>383</td><td>75438</td></tr>
</table>
<u>रामगढ़</u>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की सं०</th><th>जप्त वाहनों की सं०</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>76</td><td>171</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>60</td><td>115</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>92</td><td>167</td></tr>
</table>
<u>गिरिडीह</u>
कोयला खनिज के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज किया गया है।</td></tr>
</table>

3.	क्या यह बात सही है कि बन्द पड़े खदानों में कोयले की अवैध खनन होने से प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है;	बंद पड़े कोयले के खदानों की निरंतर निगरानी कोल कम्पनी के सुरक्षा प्रहरी द्वारा की जाती है एवं अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है तथा जिसका अनुश्रवण जिला टास्क फोर्स (खनन) द्वारा किया जाता है।
4.	क्या यह बात सही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा साईकिल, मोटर साईकिल को पकड़कर खानापूर्ति हेतु मामला दर्ज कर दी जाती है परंतु बड़े वाहनों से व्यापक पैमाने पर हो रही कोयले की अवैध कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है जिससे भारत सरकार, राज्य सरकार एवं कोल कम्पनियों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है;	Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम–9 के आलोक मे किसी भी माध्यम से खनिज के प्रेषण हेतु ई–परिवहन चालान की अनिवार्यता है एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा–21 के तहत दण्डनीय है। कोयले के अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के विरूद्ध कोल कम्पनी तथा जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है तथा जिसका अनुश्रवण जिला टास्क फोर्स (खनन) द्वारा किया जाता है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अवैध कोयला तस्करी पर रोक लगाकर दोषियों के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–तदैव–

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ०सू०)–25/2023 343 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–452 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hao 3/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(16) (99)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016–17 में करीब 14 करोड़ रूपये की लागत से बोकारो सहित झारखण्ड के 1465 सरकारी भवनों में 28 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए है और इनसे राज्य में 28 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 में जेडा द्वारा राज्य के 97 सरकारी भवनों में विभिन्न क्षमता के कुल 04.65 मेगावाट गिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त 1465 प्लांट में से 75 प्लांट बंद हो गए है और 239 प्लांट ऐसेस है जिनकी मेन्टेनेंस अवधि समाप्त हो चुकी है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 में जेडा द्वारा राज्य के 97 सरकारी भवनों में विभिन्न क्षमता के कुल 04.65 मेगावाट गिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया था, जिसमें से अधिकांश मेन्टेनेंस अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्यरत है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त बंद पड़े 75 प्लांट और मेन्टेनेंस के अभाव में बंद होने वाले 239 प्लांट हेतु समय पर मेटेनेंस एजेन्सी का चयन नहीं कर सकने वाले जवाबदेह पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	ऐसे सभी सोलर पावर प्लांट, जिनका मेन्टेनेंस अवधि समाप्त हो चुका है का, प्रबंध समिति जेडा से पुनः मेन्टेनेंस करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है तथा मेन्टेनेंस हेतु राशि उपलब्ध होते ही पुनः सभी बंद पड़े सोलर पावर प्लांट को तीन माह के अन्दर चालू किया जाना निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 437 /, दनांक 01/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

100

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तरः–

<table>
<tr><th colspan="2">प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि पेट्रोल, डीजल और एवीएशन टर्बाईन फ्यूल (एटीएफ) के मूल्य में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के वैट की दर का काफी अधिक होना है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
पेट्रोल, डीजल और ए.टी.एफ. के मूल्य निर्धारण में कई घटकों (यथा–इन्टरनेशनल क्रूड ऑयल प्राईस, केन्द्र सरकार के कर–BED, SAED, आदि एवं राज्य सरकार का वैट) में एक घटक वैट भी है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि सीमावर्ती 5 पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के वैट की दर कम रहने के कारण झारखण्ड बड़े–बड़े ट्रान्पोर्टर एवं अन्य उद्यमी सीमावर्ती राज्यों से ही इनकी खरीद कर लेते हैं;</td><td>अस्वीकारात्मक।
दिनांक 27.02.2023 को झारखण्ड एवं पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल का बिक्रय मूल्य निम्नवत् है –
<table>
<tr><th>राज्य</th><th>पेट्रोल का बिक्रय मूल्य (रू0 प्रति ली०)</th><th>डीजल का बिक्रय मूल्य (रू0 प्रति ली०)</th></tr>
<tr><td>झारखण्ड</td><td>99.84</td><td>94.65</td></tr>
<tr><td>बिहार</td><td>107.24</td><td>94.04</td></tr>
<tr><td>पश्चिम बंगाल</td><td>106.03</td><td>92.76</td></tr>
<tr><td>ओडिशा</td><td>103.19</td><td>94.76</td></tr>
<tr><td>छत्तीसगढ़</td><td>102.45</td><td>95.44</td></tr>
<tr><td>उत्तर प्रदेश</td><td>96.57</td><td>89.76</td></tr>
</table>
स्पष्टतः उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखण्ड राज्य में पेट्रोल का बिक्रय मूल्य कम है।
डीजल का बिक्रय मूल्य उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य पड़ोसी राज्यों में लगभग बराबर है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाले वैट की दर को कम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>एटीएफ पर जून 2022 में ही वैट की दर को 20% से घटा कर 4% किया गया है।
पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाले वैट की दर को कम करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः–वा0– कर/वि0मं0/01/2023 444 /राँची, दिनांकः– 01/03/23

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को दिनांक 27.02.2023 को online OASYS से प्राप्त प्रश्न के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.23

(अखिलेश शर्मा)
राज्य–कर अपर आयुक्त।

(18) (101)

श्री अमर कुमार बाऊरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमर कुमार बाऊरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं से बिजली के बकाया राशि की वसूली हेतु अभियान चला रही है और उपभोक्ताओं के घर/दुकान/उद्योग आदि पर छापेमारी कर रही है तथा उनपर केस भी दर्ज कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। निगम द्वारा बकाया वसूली हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है एवं इसके तहत् उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किये जाने पर उनका विद्युत संबंध विच्छेदित कर दिया जाता है। इस क्रम में जिस उपभोक्ता द्वारा बिजली की चोरी करते हुए पाया जाता है, निगम द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के प्रावधानानुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाती है क्योंकि बिजली की चोरी करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा निगम द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु भी छापामारी अभियान चलाया जाता है एवं चोरी करते हुए पाये जाने पर ही केस (प्राथमिकी) दर्ज की जाती है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि अबतक झारखण्ड राज्य में कितने उपभोक्ताओं पर केस दर्ज किया गया है, उपभोक्ताओं पर किस नियम/नियमावली के तहत बकायेदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है साथ ही बकायेदारों को सरकार लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु समय देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	निगम द्वारा अप्रैल, 2022 से लेकर 15 फरवरी, 2023 तक कुल 104873 परिसर की जाँच की गई उनमें से 24399 पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के आधार पर ही बिजली चोरी की प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। वैसे उपभोक्ता जिनका विद्युत विपत्र लंबित है, अपने विपत्र का भुगतान किस्तों के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसके लिये बकाया राशि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारी प्राधिकृत हैं।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 374 / दिनांक 23/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

~~19~~ 102

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण राज्य में किसी भी कार्य प्रमंडल (पथ निर्माण ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण) में कार्य कराने के लिए मिट्टी उठाव हेतु लीज/परमीट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है;	झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम–31 के तहत सड़क, रेल, पुल, डैम, नहर आदि सदृश्य निर्माण हेतु में उपयोग के लिए मिट्टी एवं मोरम खनिज का अग्रिम स्वामिस्व का पूर्ण भुगतानोपरान्त नियमानुसार अनुमति पत्र तथा नियम–9 (11) के तहत खनन पट्टा स्वीकृति का प्रावधान निहित है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रावधान नहीं होने के कारण मिट्टी का परमिट जारी नहीं जाता है जिससे गोड्डा एवं साहेबगंज जिला में किसी भी कार्य प्रमंडल (पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण) में मिट्टी भराई के कार्य हेतु निर्धारित राशि 27.48 रूपये के स्थान पर संवेदकों से 47.48 पैसे की कटौती की जाती है जिससे वहाँ के संवेदकों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है;	झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 में मिट्टी हेतु स्वामिस्व दर अनुसूची–2 के कंडिका–5 में प्रावधानित है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम–55 के तहत कार्य विभाग द्वारा वैद्य चालान के बिना उपयोग किये गये खनिज पर स्वामिस्व के साथ–साथ स्वामिस्व के बराबर की राशि तथा अन्य वैधानिक शुल्क तथा DMF, मैनेंजमेंट शुल्क, पर्यावरणीय शुल्क दण्ड स्वरूप जमा करने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सक्षम प्राधिकार/जिला खनन पदाधिकारी के माध्यम से मिट्टी का परमिट जारी करने हेतु नियमावली में बदलाव करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा कंडिका–1 एवं 2

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–29/2023 334 /एम०, राँची, दिनांक:– 01·03·2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–533 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

103

श्री भानू प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के श्रीबंशीधर नगर ऊँटारी में तुलसी दामर डोलोमाईट खदान अवस्थित है;	गढ़वा जिले के मौजा तुलसीदामर तथा मौजा जगनीपुर के कुल रकवा–293.24 एकड़ पर M/s Steel Authority of India द्वारा अवधि 30.10.1989 से 31.03.2020 तक डोलोमाईट लघु खनिज का खनन पट्टा धारित था।
2	क्या यह बात सही है कि तुलसी दामर डोलोमाईट खदान 16 फरवरी 2020 से बंद है जहाँ पत्थर तोड़ने वाले मजदूर भुखमरी, पलायन एवं बेरोजगारी की दंश झेल रहे है;	उपरोक्त डोलोमाईट लघु खनिज का खनन पट्टा की अवधि 31.03.2020 तक थी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तुलसी दामर डोलोमाईट खदान को मजदूरों के हित में चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न के बावत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम–9 (1)(ज) में निम्न अंकित है–सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम जो उसके स्वामिस्व या नियंत्रण में है, के खनन पट्टा की अवधि निर्धारण एवं पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों का अवधि विस्तार The Jharkhand Minor Mineral (Mining by Government Company) Rules के अंतर्गत किया जायेगा जिसे अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ०सू०)–19 / 2023 357 /एम०, राँची, दिनांक:– 03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–454 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(27) (104)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत सोलर प्लांट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव है?	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झगड़ाखाड में सोलर प्लांट की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन भी उपलब्ध है?	झगड़ाखाड में सोलर प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यक जमीन जेडा को आवंटन हेतु पत्रांक–1630/2022, दि०–02.08.2012 द्वारा उपायुक्त गढ़वा को अनुरोध किया गया है। जो अभी तक अप्राप्त है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गढ़वा जिले में सोलर प्लांट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जेडा को भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् सोलर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 394 / दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को, अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

105

श्री समरीलाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री समरीलाल , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ऊर्जा वितरण निगम लि० जिसके अधिसूचना–05/2016 के तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोन्नति देने हेतु दि०–22.07.2018 को परीक्षा आयोजित किया गया, जिसका परिणाम दि०–09.01.2023 को प्रकाशित किया गया है।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि परीक्षाफल घोषित हो जाने के उपरांत अबतक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड ऊर्जा वितरण निगम लि० के आंतरिक नियुक्ति विज्ञापन सं०–05/2016 में निहित प्रावधान 9(i) एवं (ii) के अनुरूप दि०–09.01.2023 को घोषित परिणाम में चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक नियुक्ति Offer निर्गत होने के पूर्व ही Computer Literacy Test में सफल होना अनिवार्य है। उक्त Computer Literacy Test की परीक्षा अभी शेष है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सफल उम्मीदवारों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में आरक्षण नियमावली में हुए संशोधन के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 472 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

106

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सन् 1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने समता बनाम् आंध्रप्रदेश राज्य के मामले में खान खनिजों पर आदिवासी एवं मूलनिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी अनुसूचित क्षेत्राधीन राज्यों को Regulation बनाने का निर्देश दिया था;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम–13 में उल्लेखित खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता का अधिकार निम्न रूपेण अंकित है–लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति के सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके आवेदन की अनुपलब्धता पर अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति का आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहयोग समिति अथवा व्यक्ति के आवेदन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान्य वर्ग के सदस्यों की सहयोग समिति को प्राथमिकता दिया जाएगा। तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम–5 के उप नियम–4 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों/ग्राम सभा का अधिकार निम्न रूपेण अंकित है–अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा अथवा समुचित पंचायत स्तर की स्वतंत्र पूर्व संसूक्ति सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि खंड– में वर्णित Samata Judgment के आधार पर केवल आंध्रप्रदेश राज्य ने कानून बनाया है जबकि झारखण्ड राज्य में इस दिशा में कोई पहल नहीं किये गये है;	–तदैव–
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित कानून का नहीं बनने से राज्य के आदिवासियों एवं मूलनिवासियों को खनिजों पर (संसाधनों पर) अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय का "Communities Command over the natural Resources" से संबंधित न्यायादेश का उल्लंघन किया जा रहा है;	–तदैव–
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विषयों की गंभीरता के मद्देनजर राज्य में SAMATA JUDGMENT को लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	–तदैव–

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(अ०सू०)–16/2023 349 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–457 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

(107)

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–35

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सारंडा वन क्षेत्र की पट्टा परिसमाप्त खनन क्षेत्र घटकुरी–1 और 2 की पुनः बंदोबस्ती के लिए विभाग ने एक वर्ष पूर्व निविदा प्रकाशित किया है, जिसका निष्पादन अब तक नहीं हुआ है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि यह इस ईलाका का बड़ा भू–भाग सारंडा के Management Plan for Sustainable Mining Plan के अंतर्गत पड़ता है, जिसपर खनन पट्टा की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से नहीं मिल सकती है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। सारंडा के Management Plan for Sustainable Mining Plan के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को Mining Zone तथा No Mining Zone में वर्गीकृत किया गया है। घाटकुरी–1 एवं घाटकुरी–2 के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2704, दिनांक–28.11.2022 के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है:– 1. घाटकुरी–1 Mining Zone में अवस्थित प्रतीत होता है। 2. घाटकुरी–2 आरक्षित वन Compartment संख्या–G-14 तथा G-17 में अवस्थित है तथा MPSM के पृष्ठ संख्या–51 के अनुसार Compartment संख्या–G-14-Conservation area/No Mining Zone, Critical Biological Hotspot तथा Compartment संख्या–G-17 Mining Zone-I में अवस्थित है। (अनुलग्नक–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2704, दिनांक–28.11.2022)
3.	क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में खनन से सारंडा के पर्यावरण एवं परिस्थितिकी तथा वन्यजीवों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा;	किसी भी वन क्षेत्र में खनन कार्य के पूर्व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रभावी Acts & Rules के आलोक में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन का कार्य किया जाता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा वन्यजीवों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव आदि का अध्ययन के उपरांत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा खनन की अनुमति प्रदान की जाती है एवं अनुश्रवण किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन क्षेत्रों की खनन बंदोबस्ती करने के लिए प्रकाशित निविदाओं को वापस लेकर इस क्षेत्र को खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका (2) के आलोक में No Mining Zone को छोड़कर शेष क्षेत्र में नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–39/2023 346 /एम०, राँची, दिनांक:– 03.03.2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–686 दिनांक–27.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(108)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–26 का उत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर सामाग्री
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की जलापूर्ति योजना के तहत राज्य के सात शहरों राँची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, देवघर एवं आदित्यपुर में वर्ष 2025 तक प्रत्येक घर में 24 घंटे शुद्ध पेयजल आपूर्ति सीवरेज और सेप्टेज को सौ फीसदी कवरेज प्रदान करने की ससमयबद्ध योजना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 24x7 जलापूर्ति हेतु State Task Force (STF) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। साथ ही 50 हजार घरों को 24x7 जलापूर्ति करने हेतु कार्य योजना (Action Plan) तैयार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस योजना के तहत इन शहरों में पानी की जरूरत पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवन्त कर उसे उपयोगी बनाने, जलाशयों के बेहतर प्रबंधन, पानी को शुद्ध कर उसे रिसायक्लिंग करने जैसी योजना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अमृत योजना अंतर्गत शुद्ध पेय जलापूर्ति, सिवरेज प्रबंधन, जलक्षेत्रों/तालाबों का जीर्णोद्धार एवं पार्क निर्माण/हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है।
3.	क्या यह बात सही है कि सात अमृत शहरों में जलापूर्ति योजना को 2 वर्षों के अन्दर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से राज्य को वंचित रहना पड़ सकता है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार योजना में गति प्रदान करते हुए समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	**जलापूर्ति** :– सरकार द्वारा अमृत अंतर्गत आच्छादित सात (07) नगर निकायों में पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 12 जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन (निर्माण कार्य) किया जा रहा है, जिसमें से गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 5 योजना अमृत अंतर्गत, 2 योजना DMFT अंतर्गत, 2 योजना राज्य सरकार की राशि से एवं 2 योजना बाह्य संस्था ADB अंतर्गत स्वीकृत है। इन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाने पर निकाय क्षेत्र में 2025 तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। **योजनावार विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक 'क' संलग्न।** **सिवरेज/सेप्टेज प्रबंधनः**– सरकार द्वारा अमृत अंतर्गत आच्छादित सात (07) नगर निकायों में सिवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन करने हेतु 6 योजनाऐं स्वीकृत की गई है। राज्य योजना अंतर्गत राँची में जोन–1 का सिवरेज योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही, जोन–2 एवं 3 का DPR तैयार कराया जा रहा है। अमृत अंतर्गत आदित्यपुर सिवरेज योजना का निर्माण कार्य प्रगति

		पर है। गिरिडीह सेप्टेज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। देवघर एवं हजारीबाग में सेप्टेज प्रबंधन योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चास सेप्टेज योजना हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। धनबाद सिवरेज फेज–1 योजना NMCG अंतर्गत स्वीकृत है, जिसकी निविदा की कार्रवाई की जा रही है एवं फेज–2 हेतु DPR तैयार कराया जा रहा है। योजनावार विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' संलग्न।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5 / वि०स० / अल्पसूचित–03 / 2023 / न०वि०आ० 910 राँची, दिनांक– 04/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–661 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/23
सरकार के अवर सचिव।

अनुबंधक "क" (5)

Status of Water Supply Projects in 7 AMRUT Cities of Jharkhand

(Amount in Rs. Crore)

Sl. No.	Name of ULB	Name of WS Scheme	Project Cost	Status	Funding Source
1	Ranchi	Ranchi Urban Water Supply Phase – I A	266.15	Under Execution	AMRUT
2		Ranchi Urban Water Supply Phase - II A	752.66	Under Execution	ADB
3		Ranchi Urban Water Supply Phase – II B	266.13	Under Execution	State
4		Ranchi Urban Water Supply Phase-IIC	66.00	Under Tendering	ADB
5	Hazaribag	Hazaribagh Urban Water Supply	416.56	Under Execution	AMRUT
6	Adityapur	Adityapur Urban Water Supply	326.55	Under Execution	AMRUT
7	Dhanbad	Dhanbad Urban Water Supply Phase – I	159.31	Under Execution	AMRUT
8		Dhanbad Urban Water Supply Phase - II	441.52		DMFT
9		Dhanbad Urban Water Supply (JMADA)	310.62		DMFT
10	Giridih	Giridih Urban Water Supply	36.32	Completed	AMRUT
11	Chas	Chas Urban Water Supply	129.29	Under Execution	AMRUT
12	Deoghar	Deoghar Urban Water Supply	287.57	Under Execution	State
Total			**3,458.68**		

अनुलग्नक "ख" (4)

Status of Sewerage/Septage Projects in 7 AMRUT Cities of Jharkhand

(Amount in Rs. Crore)

Sl. No.	Name of ULB	Name of Sewerage/Septage Scheme	Project Cost	Status	Funding Source
1	Ranchi	Ranchi Sewerage Phase-I	302.00	Under Execution	State
2		Ranchi Sewerage Phase-II	-	DPR under preparation	To be funded from AMRUT, ADB and State
3		Ranchi Sewerage Phase-III	-		
4	Hazaribag	Hazaribagh Septage	7.85	Under Execution	AMRUT
5	Adityapur	Adityapur Sewerage	217.84		AMRUT
6	Dhanbad	Dhanbad Sewerage Phase-I	808.33	Under Tendering	NMCG
7		Dhanbad Sewerage Phase-II	-	DPR under preparation	To be funded from AMRUT, ADB and State
8	Giridih	Giridih Septage	6.87	Completed	AMRUT
9	Chas	Chas Septage	10.22	Under Tendering	AMRUT
10	Deoghar	Deoghar Septage	9.97	Under Execution	AMRUT
		Total	1,363.08		

(109)

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून 2015 की धारा 8A (3) के द्वारा सभी बृहत खनिज पट्टों की अवधि, संसद के कानून द्वारा 50 वर्ष के लिए स्वतः विस्तार कर दी गई है जो कि दिनांक– 12.01.2015 को प्रभावी हुआ है;	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून, 2015 की धारा–8A(3) के अनुसार अधिसूचना की तिथि (दिनांक–12.01.2015) के पूर्व स्वीकृत वृहत खनिज के खनन पट्टों की अवधि 50 वर्षों तक के लिए स्वीकृत मानी जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि कालांतर दिनांक–10.02.2015 को उपरोक्त बृहत खनिजों की सूची में से 130 खनिजों को लघु खनिज घोषित किया है, उक्त खनिजों के पूर्व स्वीकृत पट्टे दिनांक– 12.01.2015 को 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वतः विस्तारित हो जाने के उपरान्त लघु खनिज घोषित होने के बावजूद झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली संशोधनों में 50 वर्ष की अवधि 31 खनिजों हेतु नहीं दी जा सकी है जबकि पश्चिम् बंगाल एवं छत्तीसगढ़ ने इसे 50 वर्ष कर दिया है;	भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–333 दिनांक–10.02.2015 द्वारा 31 खनिजों को पूर्व घोषित गौण खनिजों के अतिरिक्त, गौण खनिज घोषित किये जाने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–108 दिनांक–27.01.2017 द्वारा उक्त 31 खनिजों को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 में लघु खनिज के रूप में शामित किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के प्रावधानानुसार सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर प्राप्त वैसे खनन पट्टे, जो नवीकरण अंतर्गते थे एवं पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजना प्राप्त नहीं रहने के कारण कालतिरोहित हो गये हो, उनके पट्टे की अवधि पट्टा स्वीकृति/नवीनीकरण की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक के लिए अवधि विस्तारित मानी जाएगी तथा अनुसूची–2 (क) में उल्लेखित खनिजों के खनन पट्टों एवं उनकी पट्टा अवधि 31 मार्च, 2022 तक विस्तारित मानी जायेगी बशर्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन पट्टा के अस्वीकृत/रद्द/व्ययगत होने के आदेश नहीं पारित किया गया है। सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर स्वीकृत/नवीकृत खनन पट्टे की अवधि यदि उनकी स्वीकृति/नवीकरण की अवधि 31 मार्च, 2022 के बाद की तिथि हो तो उनकी अवधि उनकी स्वीकृति/नवीकरण की अवधि तक विधि मान्य रहेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लघु खनिज घोषित किए 31 खनिजों हेतु 50 वर्ष की अवधि विस्तारित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तदैव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(ता०)–23/2023 344 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–455 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/22

सरकार के संयुक्त सचिव